कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली, म0प्र0

क्रमांक 2464/2024 दिनांक 15/10/2024

// अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण नीलामी विज्ञप्ति//

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायायल सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न के अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी/विक्रय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण को क्रय करना चाहता है, वह दिनांक 21.10.2024 शाम 5:30 बजे जिला न्यायालय परिसर वैढ़न जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, वैढ़न जिला सिंगरौली के माध्यम से कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी/विक्रय की शर्ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइड www.mphc.gov.in एवं www.singrauli.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

//अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण नीलामी/विक्रय की शर्ते//

01. अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 21.10.2024 से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी/विक्रय किया जायेगा।

02. अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाडा आदि देय नहीं होगा।

03. बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

04. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोलीकर्ता को स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नियमानुसार चालान के माध्यम से शासन हित में जमा कराना होगा विक्रयशुदा अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा।

05. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सिंगरौली द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सिंगरौली को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

06. अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण नीलामी हेतु गठित, नीलामी समिति, जिला न्यायालय सिंगरौली को नीलामी/विक्रय की शर्तो में बदलाव करने का, शर्तों को आंशिक रूप से निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।

07. नीलामी/विक्रय शुदा अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र नीलामी समिति, जिला न्यायालय वैढ़न द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के उपरांत अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर जिला न्यायालय परिसर मुख्यालय बैढ़न से ले जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

08. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्ते स्वीकार है।

09. अनुपयोगी फर्नीचर/उपकरण की नीलामी के संबंध में पूछताछ हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुविभाग, मुख्यालय बैढ़न जिला न्यायालय सिंगरौली से मोबाईल नम्बर 9424375885 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न (म0प्र0)